उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
संख्या : 24/2022/बी-1-750/दस-2022-231/2022
लखनऊ : दिनाँक : 08 नवम्बर, 2022

कार्यालय - ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में प्रावधानित धनराशियों के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/ दस-2022-231/2022, दिनाँक 07 जून, 2022 द्वारा जारी किये गये हैं ।

2- उक्त कार्यालय-ज्ञाप के प्रस्तर-2(15), 17(क) एवं 17(ख) में केन्द्रांश तथा उसके सापेक्ष राज्यांश की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने की व्यवस्था दी गयी है ।

3- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के सम्बन्ध में पी.एफ.एम.एस. व्यवस्था लागू किये जाने के फलस्वरूप केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु परियोजना के राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने की अपेक्षा की जाती है, जबकि उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनाँक 07 जून, 2022 में, प्राप्त केन्द्रांश की पुष्टि के उपरान्त ही राज्यांश अवमुक्त किये जाने की व्यवस्था दी गयी है ।

4- अतः सम्यक् विचारोपरान्त अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उक्त के निराकरण हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनाँक 07 जून, 2022 के प्रस्तर-2(15), 17(क) एवं 17(ख) को निम्नवत् संशोधित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैं -

| प्रस्तर-2 | विद्यमान व्यवस्था | संशोधित व्यवस्था |
|---|---|---|
| (15) | समस्त केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश की पुष्टि के उपरान्त, केवल प्राप्त केन्द्रांश के समतुल्य धनराशि तथा उसके संगत राज्यांश की धनराशि ही योजना के एस.एन.ए. एकाउण्ट में स्थानान्तरित की जायेगी । | 15(क) वर्तमान वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में समस्त केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत, प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमानित केन्द्रांश प्राप्त होने की प्रत्याशा में, समतुल्य राज्यांश की धनराशि वित्त विभाग की सहमति से वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर योजना के एस.एन.ए. एकाउण्ट में स्थानान्तरित की जायेगी ।<br><br>(ख) प्रशासकीय विभाग धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में केन्द्रांश अवश्य प्राप्त होगा । केन्द्रांश प्राप्त करने के लिये प्रशासकीय विभाग प्रभावी पैरवी अवश्य करेंगे तथा केन्द्रांश की प्राप्ति हेतु किये गये प्रयासों एवं उपलब्धि से प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि को वित्त विभाग को अवगत करायेंगे । |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | |
|---|---|---|
| | | (ग) प्रशासकीय विभागों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि एस.एन.ए. खाते में राज्यांश की उतनी ही धनराशि अन्तरित की जाय, जिसका चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपभोग हो जाय, अन्यथा वित्तीय वर्ष के अन्त में एस.एन.ए. खाते मे राज्यांश की अवशेष अव्ययित (unspent) धनराशि का होना वित्तीय अनियमितता माना जायेगा । प्रशासकीय विभाग द्वारा एस.एन.ए. खाते में राज्यांश की धनराशि पर अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा । |
| 17(क) | ऐसी केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें (Centrally Sponsored Schemes) जिनमें केन्द्रांश एवं राज्यांश एक साथ जारी किया जाना है उनके लिये वित्तीय स्वीकृति केन्द्रांश प्राप्त होने तथा उसकी पुष्टि के उपरान्त वित्त विभाग की सहमति से जारी की जायेगी । | ऐसी केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें जिनमें केन्द्रांश इस वित्तीय वर्ष अथवा पूर्व के वित्तीय वर्षों में प्राप्त हो चुका हो, ऐसी स्थिति में प्राप्त केन्द्रांश की पुष्टि के उपरान्त उसके समतुल्य राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से निर्गत की जायेगी । |
| 17(ख) | केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि प्रशासकीय विभाग उपरोक्त प्रस्तर 2(16) के अनुसार जारी करने के पश्चात राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से जारी की जायेगी । | विलोपित |

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनाँक 07 जून, 2022 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय ।

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त ।

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

संख्या : 24/2022/बी-1-750(1)/दस-2022-231/2022, तददिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2 महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ / प्रयागराज ।
3 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
5 वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अधिकारी / व्यय-नियंत्रण अनुभाग ।
6 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
7 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8 निदेशक, प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ ।
9 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ / वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
11 विभागीय आदेश पत्रावली ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।